भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *254
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

बार कौंसिल के सदस्यों के लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा/सतत विधिक शिक्षा

***254. श्री जसबीर सिंह गिल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बार कौंसिल के सदस्यों के लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) और सतत विधिक शिक्षा (सीएलई) प्रारम्भ करने की योजना बना रही है जैसा कि सनदी लेखाकारों और अधिवक्ताओं जैसे पेशेवरों को अद्यतन रखने के लिए अनेक देशों द्वारा लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा हेतु न्यूनतम घंटों/अंकों के अर्जित करने को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार क्या समय-सीमा रखने पर विचार कर रही है ;
(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 जिसमें बार कौंसिल ऑफ इंडिया अथवा दिशानिर्देशों/नियमों द्वारा विनिर्धारित किसी अन्य निकाय के माध्यम से एक अनिवार्य सतत विधिक शिक्षा का उपबंध किया गया है, के संबंध में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों तथा भारतीय विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और
(घ) क्या सरकार का उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *254, जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के संबंध में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) और (ख) : इस मंत्रालय ने , नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर के माध्यम से सतत् विधि शिक्षा (सीएलई) पर अध्ययन किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से समीक्षा की जा रही है ।

(ग) और (घ) : भारत के विधि आयोग ने , अधिवक्ता अधिनियम , 1961 (विधिक व्यवसाय का विनियमन) से संबंधित अपनी 266वीं रिपोर्ट में , अन्य बातों के साथ-साथ , अधिवक्ताओं के लिए सतत् विधि शिक्षा और उसकी मानीटरी का उपबंध करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 और धारा 49 में संशोधन करने की सिफारिश की है। भारत के विधि आयोग द्वारा उसकी 266वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की, अन्य पणधारियों के परामर्श से, समीक्षा की जा रही है।

****